संख्या- 49 /2021-डी-321/38-2-2021-2(15)डी/2018

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर , 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के प्रथम अंश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-378/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0प्रशा0/2021-22, दिनांक 16 अगस्त 2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु केन्द्रांश अवमुक्त सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र संख्या- R -17014/01/2021-22/ DRDA (375742)(Sl.No.17) , दिनांक 06 अगस्त 2021 की प्रति संलग्न करते हुए भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार धनराशि रू0 6 ,71, 12 , 000/ - (रू0 छः करोड इकहत्तर लाख बारह हजार मात्र) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के़.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत धनराशि रू0 10600.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 अगस्त 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 6,71,12,000/- (रू0 छः करोड इकहत्तर लाख बारह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय एवं स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

(4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समर्पित कर दी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के़.60/रा.40-के.+रा.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय आदेश संख्या- यू0ओ0-ई-2-965/दस-2021-22, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
7- ग्राम्य विकास अनु0-3।
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।